रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. सं. 400/22 दिनांक 12/10/2022
2. (अ) अधिनियम –भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018..)धारायें...7, पी.सी एक्ट .....
   (ब) अधिनियम .....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....189.....समय.....5'45 PM.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक मंगलवार /11.10.2022/समय. 09.21 ए0एम0.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 06.10.2022/10.10 ए0एम0.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण दूरी लगभग 85 कि0मी0 ....
   (ब) पता–नगर पालिका खेडली जिला अलवर..... बीट सख्या ...जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना..... जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री भगवान सिंह
   (ब) पति का नाम .... श्री जगदीश चन्द यादव.....
   (स) जन्म तिथि /42 वर्ष .....
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ठेकेदारी .....
   (ल) पता–गांव भटावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल आवाद 829, 80फुट रोड एसपीएम नगर मीणा हॉस्टल के पास भरतपुर ।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री किंगपाल सिह पुत्र श्री अर्जुन सिह जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी गौरव पथ नगर परिषद के पास धौलपुर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर।

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....05,00,000/–रूपये रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....05,00,000/–रूपये रिश्वत राशि .....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में, श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महो0, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी–2, विषयः–रंगे हाथ रिश्वत लेते हुये पकडवाने वावत्, महो0, निवेदन है कि मैरे नगर पालिका खेडली अलवर के अन्तरगत हमारी जमीन पर पट्टा लेकर NOC प्राप्त की तथा NOC मिलने के बाद हमने हमारी जमीन पर 24, 25 दुकाने वनाई है ,जिसको अब अधिशाषी अधिकारी खेडली श्री किंगपाल सिंह व तहसीलदार श्री गिरधर सिंह कठूमर (अलवर) द्वारा धमकी दे जा रही है कि या तो 5, 5 लाख रूपये रिश्वत के तोर पर हमे दे दो वरना पटवारी, गिरदावल से फर्जी पैमाइस करवा कर आपकी NOC व 'पट्टा खारिज कर देंगे तथा आपके निर्माण अवेध घोषित कर गिरा देंगे मेरे से अधिशाषी अधिकारी श्री किंगपाल सिंह स्वयं के लिये 5 लाख तथा तहसीलदार के लिये भी 5 लाख रूपये की रिश्वत के तोर पर मांग कर रहा है, मै इन लोगो को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मै इन्हें रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरा इनसे पुराना कोई लेन–देन बाकी नहीं है, ना ही कोई रंजिश है। हस्ताक्षर–भगवान सिंह S/.जगदीश चन्द रूंध भटवाली कुम्हेर भरतपुर, मो0 नं.–9413634220, हस्ता. परमेशवर लाल/06.10.22, ह0 स्वतंत्र गवाह–रमन शर्मा व यतेन्द्र कुमार शर्मा दिनांक 10.10.2022,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 06.10.2022 को समय 10.10 ए0एम0 पर परिवादी श्री भगवान सिंह पुत्र श्री जगदीश चन्द जाति यादव उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम रूंध भटावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल आवाद 829, 80 फुट रोड एसपीएम नगर मीणा हॉस्टल के पास भरतपुर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी अलवर द्वितीय अलवर में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उक्त लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर चौकी–2 के पदनाम से संबोधित की हुई मुझे पेश की। जिस पर मैने परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर कार्यवाही करते हुये सर्वप्रथम लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी से पूछताछ की गई तो उसने स्वयं का पढा लिखा होकर उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया तथा मजीद दरियाफ्त पर बताया कि– मैरे नगर पालिका खेडली अलवर के अन्तर्गत हमारी जमीन पर पट्टा लेकर NOC प्राप्त की तथा NOC मिलने के बाद हमने हमारी जमीन पर 24, 25 दुकाने बनाई है ,जिनको नाजायज कब्जा होने व उक्त कब्जे को हटाने के संबंध में रमेश चंद नामक व्यक्ति द्वारा विधायक विधानसभा क्षेत्र कठूॅमर को शिकायत की थी जों एसडीएम कठूमर द्वारा जॉच हेतु ईओ नगर पालिका खेड़ली को दी थी। जिस पर श्री किंगपाल सिंह ई0ओ0 एवं तहसीलदार कठूमर गिरधर मीना द्वारा आपसे में मिलकर मुझे धमकियॉ दी जा रही है कि या तो 5, 5 लाख रूपये रिश्वत के तोर पर हमे दे दो वरना पटवारी, गिरदावर से फर्जी पैमाइस करवा कर आपकी NOC व पट्टा खारिज कर देंगे तथा आपके निर्माण अवैध घोषित कर गिरा देंगे, मेरे से अधिशाषी अधिकारी श्री किंगपाल सिंह स्वयं के लिये 5 लाख तथा तहसीलदार के लिये 5 लाख रूपये की रिश्वत के तोर पर मांग कर रहा है, मै इन लोगो को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मै इन्हें रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरा इनसे पुराना कोई लेन–देन बाकी नहीं है, नां ही कोई रंजिश है। परिवादी ने यह भी बताया कि गिरधर सिंह तहसीलदार अधिशाषी अधिकारी किंगपाल सिंह के जरिये रिश्वत राशि की मांग करता है तथा उसको रिश्वत राशि देने के बाद वह मुझसे बात करेंगा, इन लोगो को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है तथा मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से नाजायज तौर पर रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर ऐड्रेस प्रूफ बाबत अपने स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल रनिंग नोट किया गया। इसके बाद परिवादी से पैण्डिंग कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड/कागजात के बारे में पूछा तो परिवादी ने अपने पास से रमेश चंद निवासी ग्राम गाजीपुर पोस्ट बिजवारी हाल निवासी वार्ड नम्बर 20 खेड़ली गंज कठूमर अलवर द्वारा विधायक विधान सभा क्षेत्र कठूमर अलवर के नाम स्वयं के पिता श्री जगदीशचन्द के विरूद्ध, किये गये नाजायज कब्जे को हटाकर कब्जा दिलवाने के संबंध में दिये गये शिकायती पत्र की फोटो प्रति जो एमएलए द्वारा एसडीओ कठूमर के नाम एवं ई.ओ खेड़ली के नाम मार्क शुदा एवं दुकानों के पट्टा सम्बन्धित दस्तावेज आदि की स्वमाणित प्रति प्रस्तुत की गई जिन्हें बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया गया, तथा परिवादी ने यह भी बताया कि मुझे भगवान सिंह नाम के अलावा भानू के नाम से भी लोग जानते एवं बुलाते है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर समय 10.50 ए.एम. पर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू को आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी का मोबाईल नम्बर 9413243043 है जिससे मेरे मोबाईल फोन नम्बर–9413634220 से रिश्वत की मांग सम्बन्धित वार्ता हो जायेगी। जिस पर श्री अजय कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 36 से कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर निकलवाकर उसमें नया सैल, एवं 32 जीबी एसडी कार्ड डालकर चालू कर खाली होना सुनिश्चित किया गया तत्पश्चात परिवादी को स्वयं मोबाईल फोन से आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी का उक्त मोबाईल नम्बर मिलाकर वार्ता करने को कहा गया जिस पर समय करीब 11.12 एएम पर परिवादी भगवान सिंह उर्फ भानू ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 9413634220 से आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी से उसके मोबाईल फोन नम्बर–9413243043 को मिलाकर अपने मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर रिश्वत की मांग बाबत वार्ता की तो आरोपी ने भरतपुर पर आकर वार्ता करने को कहा गया, उक्त मोबाईल वार्ता को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर में फोल्डर नम्बर–1 की फाईल नम्बर–01 में जरिये रामजीत सिंह कानि0 रिकार्ड करवाया गया, तथा उक्त वार्ता अनुसार उक्त विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैक मॉडल सोनी बरंग काला 32 जीबी एसडी कार्ड डले हुये सहित चालू कर उसके फोल्डर नम्बर–1 फाईल नम्बर 01 में ही आरोपी किंगपाल सिंह व परिवादी के मध्य की रिकार्ड मोबाईल वार्ता के अलावा अन्य कोई वार्ता पहले से रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चत कर परिवादी व श्री रामजीत सिंह कानि0 नं. 206 का आपस में परिचय कराकर दोनो को डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर श्री रामजीत सिंह कानि0 को जरिये फर्द

समय 11.30 एएम पर सुपुर्द कर श्री रामजीत सिंह कानि0 को परिवादी के हमराह रवाना होकर रास्ते में आरोपी एवं परिवादी के मध्य अगर मोबाईल फोन पर कोई भी वार्तालाप हो को वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड कर उसे सुरक्षित रखने एवं परिवादी के हमराह गन्तव्य स्थान भरतपुर अथवा अन्य स्थान पर आरोपी के बुलाने पर पहुंचकर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण के पास भेजकर आरोपीगण द्वारा की जा रही रिश्वत राशि की मॉग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर श्री रामजीत सिंह कानि0 को परिवादी श्री भगवान सिंह के हमराह परिवादी द्वारा लाई गई स्वयं की क्रेटा कार नम्बर आरजे–05–सीडी–0056 से वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन कार्यालय से समय करीब 11.50 एएम पर रवाना किया गया, फर्द सुपुर्दगी डिजीटल टेप रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल की गई। इसके बाद उसी रोज समय 04.55 पीएम पर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू के हमराह वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गये हुये श्री रामजीत सिंह कानि नम्बर 206 ने जरिये दूरभाष मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी की आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता हो चुकी है, जिसने परिवादी से 5 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है, परिवादी की आरोपी से हुई उक्त रिश्वत मांग संबंधी वार्ता को टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है श्री रामजीत सिंह ने मन पुलिस उप अधीक्षक की परिवादी से भी वार्ता कराई गई। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रामजीत कानि0 को परिवादी के हमराह वहीं पर रूककर परिवादी को मय रिश्वत राशि के अपने साथ कार्यालय में लेकर आने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद दिनांक 07.10.2022 को समय 01.30 पीएम पर श्री रामजीत सिंह कानि0 नम्बर–206 उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि मै परिवादी श्री भगवान सिंह के हमराह परिवादी द्वारा लाई हुई क्रेटा कार नम्बर आरजे–05–सीडी–0056 के जरिये अलवर कार्यालय से रवाना हुये तथा रास्ते में परिवादी व आरोपी के बीच में मोबाईल वार्ता हुई जिसमें आरोपी ई.ओ. ने परिवादी को भरतपुर–जयपुर हाईवे स्थित पहले सेवर पर एवं बाद में लुधावई टोल प्लाजा के पास मिलने की कहा जिस पर मै व परिवादी समय करीब 02.35 पीएम के आस पास भरतपुर –जयपुर हाईवे स्थित लुधावई टोल प्लाजा के पास पहुंचे जहां पर परिवादी को कार से एक दुकान के पास आरोपी ई.ओ. खडा हुआ दिखाई दिया जिसके बारे में परिवादी ने मुझे बताया जिस पर मैने अपने पास से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम एवं टेप प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में परिवादी को दे दिया जो परिवादी ने अपने पास रख लिया और टेप रिकार्डर सहित अपनी कार से मुझे रोड पर उतार कर एक दुकान के पास खडे हुये आरोपी ई.ओ. के पास चला गया और उस दुकान के पास कार को खडी करके कार से बाहर उतर कर उस खडे हुये व्यक्ति के पास जाकर उससे बातें करने लगा कुछ समय के बाद परिवादी और वह व्यक्ति बातें करते–करते कार में आकर बैठकर हाईवे होकर भरतपुर की तरफ रवाना हो गये तथा जाते–जाते कार के अन्दर से परिवादी द्वारा ड्राईवर साईड का कांच खोलकर मुझे अपने पीछे–पीछे आने का हाथ से ईशार किया जिस पर मै टैम्पों के जरिये उनके पीछे पीछे रवाना हो गया, कुछ समय के बाद मैने परिवादी को कहां पर मिलने के बारे में मोबाईल से मैसेज किया तो परिवादी ने कुछ समय के बाद मुझे फोन कर सेवर जेल भरतपुर से आगे मथुरा बाईपास रोड पर स्थित अनौखी होटल पर मिलने को कहा, जिस पर मै उक्त होटल पर परिवादी के पास पहुंच गया जहां पर परिवादी और वही आरोपी व्यक्ति आपस में वार्ता करते हुये मौजूद मिले, मै भी वहीं होटल के पास उन पर नजर रखे खडा रहा, कुछ देर के बाद परिवादी और वह व्यक्ति दोनो होटल के अन्दर चले गये और थोडी देर के बाद होटल से परिवादी बाहर आया और अपने पास से चालू हालत में वॉईस रिकार्ड निकालकर मुझे दिया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया, उसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि अभी–अभी जो मेरे पास से यह व्यक्ति वार्ता करता हुआ होटल के अन्दर गया है यही किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर था और इसने मुझसे मेरी निर्माणशुदा दुकानों को नहीं तोडने व रिपोर्ट मेरे पक्ष में देने के बदले में मुझसे 05 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की है मैने उक्त वार्ता टेप रिकार्डर में रिकार्ड करली है। जिसके बारे में मैने आपको जरिये दूरभाष बता दिया था और परिवादी से भी वार्ता करा दी थी, तथा साधन के अभाव में आपके निर्देश पर मै रात्रि में वहीं अनोखी होटल भरतपुर में रूक गया था, तथा परिवादी अपने मकान पर चला गया था तथा आज दिनांक 07.10.2020 को परिवादी सुबह मेरे पास आया और बताया कि मुझे दो दिन कोई जरूरी काम है तथा रिश्वत राशि भी इन्तजाम करना है, मै राशि का इन्तजाम कर दिनांक 10.10.2022 को सुवह आपके कार्यालय अलवर में हाजिर हो जाउंगा, जिसके बारे में मैने आपको अवगत कराया एवं परिवादी से भी वार्ता कराई, तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार परिवादी को आरोपी ई0आ0 द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि पांच लाख रूपये का इन्तजाम कर दिनांक 10.10.2022 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय अलवर में उपस्थित होने हेतु

पाबन्द कर परिवादी को भरतपुर में ही छोडकर मै वॉईस रिकार्डर सहित जरिये बस भरतपुर से रवाना होकर वापस आया हूं। इस पर श्री रामजीत सिंह कानि. से विभागीय वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को ईयरफोन की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से आरोपी किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर द्वारा परिवादी से उसकी निर्माण शुदा दुकानों को नहीं तोडने व रिपोर्ट परिवादी पक्ष में देने की एबज में पांच लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्टतः प्रमाणित पाया गया। वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे में कार्यालय की आलमारी में रखा गया, तथा समय 02.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत् उप नगर नियोजक अलवर के नाम तहरीर जारी कर जरिये ई–मेल प्रस्तुत कर जरिये दूरभाष पर वार्ता कराकर दो कर्मचारी बतौर गवाह दिनांक 07.10.2022 को शीघ्र ब्यूरो कार्यालय अलवर द्वितीय पर भिजवाने बाबत निवेदन किया गया तो उप नगर नियोजक द्वारा दो कार्मिक शीघ्र भिजवाने हेतु कहा गया। इसके बाद समय 03.00 पीएम पर कार्यालय उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर से दो कार्मिक उपस्थित कार्यालय आकर मन पुलिस उप अधीक्षक से मिले जिनसे उनके नाम पते पूछे तो उन्होने अपना नाम क्रमशः रमन शर्मा वरिष्ठ सहायक व यतेन्द्र कुंमार शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर होना बताया जिन्हें कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुये दिनांक 10.10.2022 को प्रातः 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय अलवर द्वितीय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर कार्यालय से समय 03.30 पीएम पर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 10.10.2022 को समय 09.00 एएम पर दोनो गवाहान श्री रमन शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री यतेन्द्र कुंमार शर्मा वरिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय 2.50 पीएम पर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू अपनी स्वयं की क्रेटा कार से उपस्थित कार्यालय आया एवं मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे बताया कि दिनांक 07.10.2022 को आपके निर्देशानुसार मै और आपका कर्मचारी श्री रामजीत सिंह आपके कार्यालय अलवर से मेरी क्रेटा कार नम्बर आरजे–05 सीडी 0056 से रवाना हुये थे तथा रास्ते मै ई0ओ0 किंगपाल सिंह ने मुझे बार–बार फोन किये एवं मुझे पहले सेवर (भरतपुर) एवं बाद में लुधावई टोल प्लाजा के पास मिलने की कहा जिस पर हम दोनो रवाना होकर समय करीब 02.35 पीएम के आस पर भरतपुर–जयपुर हाईवे स्थित लुधावई टोल प्लाजा के पास पहुचे जहां पर मैने कार को रोड की साईड में रोका जहां से एक दुकान के पास ई.ओ. श्री किंगपाल सिंह बैठा हुआ दिखाई दिया जिसके बारे में मैने आपके कर्मचारी रामजीत सिंह को बताया जिस पर आपके कर्मचारी रामजीत सिंह ने अपने पास से टेप रिकार्डर निकालकर कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं तारीख भरकर एवं मुझसे मेरा नाम बुलवाकर टेप प्राप्त करने संबंधी वार्ता रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दिया ज़िसको मैने अपने पास रख लिया, उसके बाद आपके कर्मचारी रामजीत सिंह को मै कार से रोड के दूसरी तरफ उतार कर मै कार सहित उक्त दुकान के पास पहुंचा एवं कार को खडी कर उक्त दुकान के पास खडे हुये नगर पालिका खेड़ली ई.ओ. किंगपाल सिंह के पास पहुंचा तथा उनसे मैने अपनी दुकानों को नहीं तोडने व रिपोर्ट देने के संबंध में बातचीत की तो ई0ओ0 साहब मुझसे बातचीत करते–करते मुझे साथ लेकर मेरी गाडी में आकर बैठ गये और बातें करते–करते हुये मुझे वहां से लेकर सेवर जेल से आगे मथुरा बाईपास होते अनौखी होटल पहुंचे थे मैने रवाना होने से पहले अपनी गाडी के ड्राईवर साईड के शीशे को खोलकर आपके कर्मचारी रामजीत सिंह को अपने पीछे आने का ईशार कर दिया था जो कुछ समय के बाद अनोखी होटल पर आ गया था, और हमारे से दूर खडा हो गया था, ई0ओ0 किंगपाल सिंह द्वारा बातचीत कर मुझसे मेरी निर्माणशुदा दुकानों को नहीं तोडने एवं रिपोर्ट मेरे पक्ष में देने की एबज में मुझसे पांच लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की और शीघ्र राशि देने के लिये कहा, उनकी सारी बातें मैने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली। उसके बाद ई.ओ. साहब अनौखी होटल के अन्दर चला गया तथा मैने आपके कर्मचारी के पास आकर उसे मैने टेप रिकार्डर चालू हालत में अपने पास से निकालकर दे दिया जिसको रामजीत सिंह ने बन्द कर अपने पास रख लिया फिर मैने रामजीत सिंह को ई.ओ. किंगपाल सिंह से हुई सारी बातें बता दी, जिसके बारे में रामजीत सिंह ने आपको फोन कर बता दिया था तथा मेरी भी आपसे वार्ता कराई थी। इसके बाद आपके निर्देशानुसार आपका कर्मचारी साधन के अभाव में रात्रि में उसी होटल में रूक गया था तथा मै अपने घर भरतपुर चला गया था तथा मै दिनांक 07.10.2022 को आपके कर्मचारी रामजीत सिंह से मिला और उसे बताया था कि मुझे दो दिन जरूरी कार्य है तथा रिश्वत राशि 5 लाख रूपये का भी इन्तजाम करना है जो शीघ्र कर दिनांक 10.10.2022 को आपके कार्यालय अलवर में हाजिर हो जाउंगा जिसके बारे में आपके कर्मचारी ने आपको अवगत कराया एवं मेरी भी आपसे वार्ता कराई थी। उसके बाद आपके निर्देशानुसार आपका कर्मचारी रामजीत सिंह टेप रिकार्डर को लेकर बस से अलवर के लिये रवाना हो गया था तथा मै अपने घर चला गया था और आज रिश्वत राशि 05 लाख रूपये का इन्तजाम कर साथ लेकर आया हूं। परिवादी को कार्यालय में अलग से बैठाया गया। इसके बाद समय 03.10 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित गवाहान श्री रमन शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री यतेन्द्र कुंमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को एवं उपस्थित परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू को मन पुलिस उप

अधीक्षक द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर सर्वप्रथम दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनो गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली व अन्य के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 06.10.2022 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में हमने परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की तथा रिपोर्ट को सही मानते हुये परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने–अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये।इसके बाद समय 03.30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रमन शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री यतेन्द्र कुंमार शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे की कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू एवं आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर के मध्य दिनांक 06.10.2022 को मोबाईल/रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेविल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी द्वारा परिवादी से 05 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होने संबंधी वार्ताओं का रिकार्ड होना पाया गया। उक्त वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्तालाप की समय 04.30 पीएम से हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट प्रारम्भ कर तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू द्वारा अपनी एवं आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी की आवाज होने की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसक्रिप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड उक्त मोबाईल एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली डीवीडीयों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क A-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया ,उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई है। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उक्त एसडी कार्ड को उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दोनो शील्डशुदा डीवीडी मार्क A-1, A-2 को एवं शील्ड एसडी कार्ड मार्क–SD को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया। इसके बाद दिनांकः –11.10.2022 को समय 12.10 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने मन् पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल द्वारा परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू को आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000–2000 रूपये के 70 नोट एवं 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 1,50,000/–रू. एवं 500–500 रूपये के नोटो की 07 गड्डी जिनमें प्रत्येक गड्डी में 100–100 नोट कुल 700 नोट कुल 3.50,000/–रूपये, इस प्रकार 2000–2000 के 70 व 500–500 रू. के 720 कुल 790 नोट कुल राशि 5,00,000/–रूपये (पांच लाख रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के निकाल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये,जिनका विवरण फर्द में अंकित कराकर नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात सतीश कुमार कानि0 275 से कार्यालय की अलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर सतीश कुमार कानि0 नं0 275 से एक साफ अखवार टेविल पर बिछवाकर उस अखवार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर 5,00,000/–रूपये के नम्बरी नोटो पर भली–भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री भगवान सिंह की जामा तलासी स्वतंत्र गवाह श्री यतेन्द्र कुमार शर्मा से लिवाई जिसमें परिवादी के पास बदन पर पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन, गाडी की चाबी, एक पीले रंगे की कपडे की थैली के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद सतीश कुमार कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये/

5,00,000/–रूपये के नोटों की गड्डियों को परिवादी के पास मौजूद पीले रंगे की कपडे की थैली के अन्दर रखवाकर पाउडरयुक्त नोट रखी पीले रंग की कपडे की थैली सहित परिवादी को सुपुर्द किये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा–पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत. में उक्त नोटों को प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपनी केटा कार की पार्किंग लाईट जलाकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल अथवा मैसेज कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि0 443 से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और अजय कुमार मुख्य आरक्षक से उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराकर ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री रमन शर्मा से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग नहीं बदला, साफ सफेद रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले सतीश कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगुठें सहित डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतत्र गवाहो को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर सतीश कुमार कानि0 से वापस कार्यालय के रखी आलमारी में तथा सोडियम .कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में अजयकुमार मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद सतीश कुमार कानि0 से गिलास के धोवन को बाहर नाली में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील कटोरों, गिलासों, चम्मच आदि को अजय कुमार मुख्य आरक्षक से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी एवं अजयकुमार मुख्य आरक्षक, श्री राजवीर कानि. के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये । इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से. जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो स्वतंत्र गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री भगवान सिंह को रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.30 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय स्टाफ के हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया जाकर एवं परिवादी को बताये गये रिश्वती स्वीकृति ईशारे के बारे में बताया जाकर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू को उसके द्वारा लाई हुई उसकी केटा कार नम्बर आरजे–05 सीडी–0056 से मय रामजीत सिंह कानि0 206, एवं स्वतंत्र गवाह श्री रमन शर्मा, श्री लल्लू राम कानि0 487, श्री राजवीर सिंह कानि0 443 के आगे–आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक परमेश्वर लाल मय स्वतंत्र गवाह श्री यतेन्द्र कुमार शर्मा, व स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 36, श्री निहाल सिंह कानि0 595 एवं श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री सहित जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय कानि0/चालक महेश कुमार नम्बर 374 के लेकर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय से रवाना परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार कस्वा खेड़ली हुआ, तथा नोटो पर पाउडर लगाने वाले कानि0 श्री सतीश कुमार नम्बर 275 को बाद हिदायत कार्यालय में छोडा गया। समय 08.40 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना शुदा कस्वा खेड़ली में परिवादी के बताये अनुसार खेडली रेल्वे स्टेशन पर पहुंचा जहां पर वाहनों को अलग अलग खडा करवाकर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू को उसकी केटा कार से उसके सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर को जरिये कानि0 रामजीत चालू कराकर आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी के पास नगर पालिका खेड़ली के लिये रवाना किया गया तथा उसके पीछे पीछे श्री रामजीत सिंह कानि0 206, श्री अजय

कुमार हैड कानि0 नम्बर 36 व श्री राजवीर सिंह कानि0 443 एवं श्री निहाल सिंह कानि0 नम्बर 595 व श्री लल्लू राम कानि0 487 को बाद हिदायत पैदल पैदल रवाना किया गया तथा उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रमन शर्मा व यतेन्द्र कुमार शर्मा को लेकर पैदल पैदल रवाना हुआ तथा वाहन सरकारी में महेश कुमार कानि0 चालक एवं धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत रेल्वे स्टेशन पर छोडा गया। मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान व पार्टी सदस्यों के नगर पालिका खेड़ली के पास पहुचकर उसके सामने स्थित पार्क में मुकीम हुआ जहां से परिवादी अपनी कार सहित नगर पालिका खेड़ली के अन्दर प्रवेश करता दिखाई दिया जो नगर पालिका खेड़ली परिसर के अन्दर अपनी केटा कार को खडी कर पैदल पैदल कार्यालय नगर पालिका के अन्दर फस्ट फ्लोर पर स्थित आरोपी किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी के सरकारी आवास पर चला गया जिस पर मन पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित नगर पालिका के सामने स्थित पार्क में अपनी उपस्थित छिपाते हुये खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम रहा । इसके बाद समय 09.21 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू द्वारा नगर पालिका खेडली परिसर में फस्ट फ्लोर स्थित अधिशाषी अधिकारी के सरकारी आवास की छत के उपर खडे हुये जरिये मोबाईल मन पुलिस उप अधीक्षक को मैसेज कर ट्रैप का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय उपरोक्त गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही नगर पालिका खेडली परिसर स्थित सरकारी आवास पर सीढियो से होकर उक्त आवास की छत पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू खडा मिला जिससे सर्वप्रथम डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात् परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू ने बताया कि श्री किंगपाल सिंह ई.ओ. साहब ने अभी अभी अपने सरकारी आवास के अन्दर अपने बैडरूम में मुझसे 5,00,000/–रूपये रिश्वत के मॉग कर अपने बैडरूम में रखे हुये सोफा के उपर मुझसे रखवा कर लिये है और रूपये लेने के बाद में ई.ओ. साहब ने पैसे आ जाने वाली बात बताने के लिये मोबाईल फोन से तहसीलदार गिरधर मीना को फोन किया किन्तु तहसीलदार ने फोन नहीं उठाया उसके कुछ समय के बाद तहसीलदार का ईओ. साहब के पास फोन आया तब ईओ साहब ने तहसीलदार से बात कर मुझसे लिये गये पैसो के बारे में बता दिया है। ई.ओ. साहब अभी अपने बैडरूम के अन्दर ही है। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एवं समस्त ट्रेप पार्टी सहित तथा परिवादी को हमराह लेकर उक्त सरकारी आवास की तरफ गया तो एक व्यक्ति पैन्ट–टी शर्ट पहने एवं चश्मा लगाये हुये उक्त सरकारी आवास के गेट पर खडा मिला तथा अपनी तरफ हम सभी पार्टी का आता हुआ देखकर आवास के एल्युमिनयम गेट को बन्द करता मिला जिसकी तरफ पर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू ने ईशारा कर मन पुलिस उप अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के सामने बताया किं यही किंगपाल सिह ईओ0 है जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सहित उस व्यक्ति की तरफ गया तों उस व्यक्ति नें एल्युमिनियम गेट को फेरकर आवास के अंदर चला गया जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रैप पार्टी सहित उक्त आवास के अंदर बैठक से होकर बगल मे स्थित बैडरूम में समय 09.35 एएम पर पहुॅचा, जहां पर वही पेंट टीशर्ट पहने व चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति बैड पर बैठा मिला तथा उक्त बैडरूम में रखे हुये सोफा के उपर एक पीले रंग की कपडे की थैली नोटो की गड्डियों सहित रखी हुई मिली, जिसे मन पुलिस उप अधीक्षक व समस्त हमराहियान ने देखा, तत्पश्चात परिवादी के कथानुसार पेंट टीशर्ट पहने व चश्मा लगाये हुये बैड पर बैठे हुये व्यक्ति को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए एवं अपना आने का प्रयोजन बताते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम किंगपाल सिह पुत्र श्री अर्जुन सिह जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी गोरव पथ नगर परिषद के पास धौलपुर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेडली जिला अलवर होना बताया। जिससे परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू से रिश्वत में मांग कर प्राप्त की गई 05 लाख रूपये की रिश्वत के बारे में पूछा गया तो आरोपी किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी द्वारा बताया कि–मै आज सुबह अपने दिनचर्या से निवृत होकर के अपने रूम मे बैठा था उसी दौरान मेरे पास पार्षद श्री सुरेन्द्र जी आफिस कार्य से आये हुए थे मै उनसे बैठकर के बात कर रहा था उसी समय यह भानु मेरे पास आया और मेरे से बोला कि मै आपसे कुछ बात करना चाहता हूॅ मैने बोला बताईये किस काम से आये हों, इसी बीच में इनके हाथ मे क्या था मुझे नही मालूम इन्होने मेरा कमरा खोलकर सामान सोफे परं फेक दिया। मुझे नही पता क्या था। मेरे द्वारा इस भानु से सोफे पर फेंके गये सामान को हटाने के लिये कहा था किन्तु इन्होने उसे नहीं हटाया और बाहर की तरफ चला गया और इसी दौरान आप लोग आ गये। मैने कोई रिश्वत राशि की इस भानू से मॉग नही की गई है और ना ही मेरे द्वारा ली गई है। इसके द्वारा रिश्वत राशि जबरदस्ती मेरे सोफे पर रखकर मुझे गलत फॅसाया गया है, एवं बताया श्रीमान विधायक श्री बाबूलाल बैरवा कठूमर विधानसभा क्षेत्र को किसी व्यक्ति द्वारा इनकी अवैध कब्जा के संबंध मे शिकायत दी गई थी जो एसडीएम कठूमर द्वारा मुझ अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेडली को जॉच हेतु दी थी तो सर्वप्रथम मेरे द्वारा श्रीमान तहसीलदार कठूमर श्री गिरधर मीना जी

को पत्र द्वारा उक्त भूमि की पैमाईश करने के लिए पत्र लिखा था। जिसकी अभी तक कोई रिपोर्ट मुझको प्राप्त नही हुई है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार मेरे द्वारा की जाती। दिनांक 06.10.2022 को यह भानु मुझसे भरतपुर मिला था और इसने मुझसे अपनी निर्माणशुदा दुकानो की रिपोर्ट के संबंध मे बातचीत की थी। उस रोज मेरे द्वारा इस भानु से इसकी दुकानो को तोडने या रिपोर्ट देने के संबंध मे कोई रिश्वत राशि की मॉग नही की गई थी। इस भानु द्वारा मुझे इस रिश्वत मॉमले मे गलत फॅसाया गया है, इसका मेरे पास आज की तारीख में कोई काम पैडिंग नहीं है। इसके बाद आरोपी श्री किंगपाल सिह अधिशाषी अधिकारी द्वारा लिये गये उक्त बचाव के संबंध मे मौके पर उपस्थित परिवादी श्री भगवान सिह उर्फ भानु से पूछताछ की गई तों परिवादी ने बताया कि नगर पालिका खेडली अलवर के अन्तर्गत हमारी जमीन पर हमने पट्टा लेकर NOC प्राप्त की तथा NOC मिलने के बाद हमने हमारी जमीन पर 24, 25 दुकाने बनाई थी जिनको नाजायज कब्जा होने व उक्त कब्जे को हटाने के संबंध मे रमेश चंद नामक व्यक्ति द्वारा विधायक विधानसभा क्षेत्र कठूॅमर को शिकायत की थी जों एसडीएम कठूमर द्वारा जॉच हेतु इन ईओ साहब को दी थी। जिस पर इन्होने तहसीलदार कठूमर गिरधर मीना से मिलकर मुझे धमकियॉ दी गई एवं कहा गया कि या तो 5, 5 लाख रूपये रिश्वत के तोर पर हमे दे दो वरना पटवारी, गिरदावर से फर्जी पैमाइस करवा कर आपकी NOC व पट्टा खारिज कर देंगे तथा आपकी निर्माणशुदा दुकानों को अवैध घोषित कर गिरा देंगे, अगर मुझको 05–05 लाख रूपये दे दोगे तो दुकानो को नही तोडेगे व आपके पक्ष मे रिपोर्ट दे देगे। इस पर मैने दिनांक 06.10.2022 कों इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने के लिए आपके विभाग में आपके पास अलवर जाकर लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर आपने दिनांक 06.10. 2022 को मुझे अपने कर्मचारी रामजीत सिह के साथ रिश्वत मॉग सत्यापन के लिए इनके पास भेजा था तो इन्होने मुझे फोन करके भरतपुर–जयपुर हाईवे पर स्थित लुधावई टोल प्लाजा के पास बुलाकर मुझसे मेरी वैध पट्टा शुदा एवं निर्माण स्वीकृति उपरान्त निर्माणशुदा दुकानों को अवैध बताकर नही तोडने व रिपोर्ट मेरे पक्ष में देने की एवज मे 05 लाख रूपये रिश्वत राशि की मॉग की थी और इन्होने अपनी उसी मॉग के अनुसरण मे आज मुझे बुलाकर अभी अभी कुछ समय पहले अपने नगर पालिका खेडली स्थित इस सरकारी आवास के अन्दर बुलाकर बैडरूम में बैठकर मेरे कार्य के संबंध मे बातचीत करते हुए मुझसे 05 लाख रूपयें बैडरूम में रखे हुए सोफा पर रखवाकर प्राप्त किये है, जो अभी भी सोफे के उपर पीले रंग की कपडे की थैली सहित रखे हुए है तथा रूपये लेने के बाद में ईओ. साहब ने पैसे आ जाने वाली बात बताने के लिये मोबाईल फोन से तहसीलदार गिरधर मीना को फोन किया किन्तु तहसीलदार ने फोन नहीं उठाया उसके कुछ समय के बाद तहसीलदार का ईओ. साहब के पास फोन आया तब ईओ साहब ने तहसीलदार से बात करके मुझसे लिये गये पैसो के बारे में बता दिया था। रिश्वत राशि देने के बाद में इनके बैडरूम से बाहर आया और आपको रिश्वती स्वीकृति का ईशारा मोबाईल मैसेज के जरिये कर दिया था। मेरे द्वारा इन ई.ओ. साहब कों उक्त 05 लाख रूपये की रिश्वत राशि इनकी मॉग अनुसार एवं इनके कहेअनुसार दी गई हैं न कि जबरदस्ती दी गई। इसके बाद आरोपी श्री किंगपाल सिह अधिशाषी अधिकारी से परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के संबंध मे एक बार पुनः पूछताछ की गई तो आरोपी किंगपाल सिह नें अपने पूर्व मे दिये गये कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नही बताई । इसके बाद गिरधर मीना तहसीलदार कठूमर को वास्ते पूछताछ जरिये दूरभाष तलब किया किन्तु तहसीलदार द्वारा फोन अटेण्ड नहीं किया गया, जिससे तहसीलदार गिरधर मीना की उक्त मामले में संदिग्ध भूमिका प्रतीत होती है। इसके बाद परिवादी द्वारा आरोपी किंगपाल सिह के मॉगे एवं कहे अनुसार सोफे पर रिश्वत राशि रखकर बाहर ईशारा हेतु आने के दौरान उक्त राशि को आरोपी द्वारा हाथ लगाये जाने की संभावना के मध्यनजर आरोपी किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी के हाथों की अॅगुलियों व अगूठे कों सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे धुलवाया जाना उचित समझते हुए श्री लल्लूराम कानि0 487 से उक्त आवास के अंदर से एक प्लास्टिक की बडी बोतल मे साफ पानी मॅगवाया गया तथा ट्रैप बॉक्स से दो स्टील के कटोरा निकलवाकर उन्हे साफ पानी व साबुन से साफ कराकर उक्त स्टील के कटोंरो में बोतल में से साफ पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री रमन शर्मा से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो स्टील के कटोंरो के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक स्टील कटोरा के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री किंगपाल सिह अधिशाषी अधिकारी के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया तत्पश्चात् उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे स्टील कटोरे के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री किंगपाल सिह अधिशाषी अधिकारी के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया

तत्पश्चात् उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री किंगपाल सिह अधिशाषी अधिकारी द्वारा परिवादी श्री भगवान सिह उर्फ भानु से प्राप्त की गई 05लाख –रूपये की रिश्वत राशि जो आरोपी के बैडरूम में रखे सोफे के उपर पीले रंग की कपडे की थैली में रखी हुई है को नोटो सहित गवाह श्री यतेन्द्र कुमार शर्मा से उठवाकर उक्त थैली के अंदर रखे हुए नोटो की गड्डियों को बाहर निकलवांकर चैक करवाया गया तों उक्त थैली के अंदर दो दो हजार रूपये के 70 नोट व 500–500 रूपये के 720 नोट कुल 05 लाख रूपयें गड्डियों मे मिले उक्त बरामद शुदा 05 लाख रूपये के नोटो का मिलान दोनो गवाहान सें कार्यालय मे तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों सें करवाया गया तों हुबहु वही नम्बरी नोट 05 लाख रूपये मिलें व मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त बरामद शुदा 05 लाख रूपये रिश्वती नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर बरामद शुदा 05 लाख रूपये के नम्बरी रिश्वती नोटों को रबड बैड लगी गड्डियों सहित एक साथ कर मय पीले रंग के कपडे की थैली सहित एक सफेद कागज की चिट लगाकर हरे रंगे के मोटे धागे से बॉधकर गॉठ लगाकर सील चिट मोहर कर कागज की चिट पर दोनों गवाहान, परिवादी व अरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद उक्त आवास के बाथरूम से जरिय कानि0 लल्लू राम एक साफ प्लास्टिक की बाल्टी मंगवाकर उसमें पानी की भरी हुई प्लास्टिक की बोतल में से साफ पानी भरवा कर उसमें गवाह श्री रमन शर्मा से उसके हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थिगणों ने देखकी घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। तत्पश्चात उक्त घोल में स्वतंत्र गवाह श्री रमन शर्मा के जरिये आरोपी श्री किंगपाल सिंह के बैडरूम में रखे सोफे के उस भाग को जहां से रिश्वत राशि रखी होकर बरामद हुई को उक्त गवाह से हाथ घुमवाकर धुलवाया गयो तो धोवन का रंग गदमैला गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगणों को दिखाया तो सभी ने घोवन का रंगे गदमैला गुलाबी होना स्वीकार किया तत्पश्चात उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिल चिट मोहर कर मार्क S-1, S-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर आरोपी एवं गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री किंगपाल सिह अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका खेडली कों परिवादी की दुकानों से संबंधित रिकार्ड आदि के बारे मे पूछा गया तो उसने कार्यालय में होना बताया जो पृथक से जब्त किया जायेगा। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवान सिह उर्फ भानू से प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद तहसीलदार श्री गिरधर मीना को वास्ते पूछताछ जरिये दूरभाष तलब किया गया किन्तु उसके फोन नहीं उठाया व फोन को स्विच ऑफ कर लिया तथा कुछ समय के बाद मन पुलिस उप अधीक्षक को कॉल कर पूछताछ के लिये आने से इन्कार कर दिया और फोन को काट दिया, इस प्रकार तहसीलदार गिरधर मीना द्वारा वास्ते पूछताछ मौके पर बुलाने पर नहीं आने आदि से उक्त मामले में तहसीलदार की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। इसके बाद आरोपी श्री किंगपाल सिह अधिशाषी अधिकारी व परिवादी श्री भगवान सिह उर्फ भानू को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन–देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 03.10 पीएम पर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू के पिता श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामकरण यादव से सम्बन्धित रिकार्ड तलब करने पर श्री रोहित गर्ग वरिष्ठ प्रारूपकार नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर द्वारा श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामकरण यादव निवासी 80 फुट रोड खेड़ली वार्ड नम्बर 19 की मकान निर्माण पत्रावली पृष्ठ सं. 01 लगायत 32 एवं उपखण्ड अधिकारी कठूमर के पत्र दिनांक 12.09.2022 नाजायज कब्जा को हटाकर कब्जा दिलवाने बाबत द्वारा रमेशचन्द पुत्र हरिसिंह ग्राम गाजीपुर पोस्ट बिजवारी हाल निवासी वार्ड नम्बर 20 खेड़ली गंज कठूमर की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधित पत्रावली पृष्ठ सं0 01 लगायत 53 कार्यालय नगर पालिका खेडली लाकर पेश की उक्त दोनो पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा उक्त पत्रावलियों की ट्रैप कार्यवाही में आवश्यकता होने पर श्री रोहित गर्ग वरिष्ठ प्रारूपकार को दोनो पत्रवलियों की अलग अलग फोटो प्रतियां कर एवं प्रमाणित फोटो प्रति पेश करने के निर्देश देने पर उनके द्वारा उक्त पत्रावलियों की प्रमाणित फोटो प्रति क्रमशः पेज 01 से 32 तक एवं पेज 01 से 53 तक पेश की जिन्हें ट्रैप कार्यवाही मे वांछित होने के कारण सम्बन्धितों के प्रथम व अन्तिम पेज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर वास्ते वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा मूल पत्रावलियां श्री रोहित गर्ग

वरिष्ठ प्रारूपकार को वास्ते अग्रिम कार्यवाही सुपुर्द की गई, तथा हस्व तलबशुदा श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता नायब तहसीलदार खेड़ली (मण्डी) से ग्राम सहजपुर के खसरा नम्बर 105, 106, 107 की पैमाईस संबंधी मौका फर्द की फोटो प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03.40 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू से प्राप्त शुदा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकार्डर जिसमें आज दिनांक 11.10.2022 को वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपी श्री किगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी एवं परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू के मध्य स्बरू हुई रिश्वत लेन–देन की वार्ता रिकार्ड है, को लेपटोप से कनैक्ट कराकर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन–देन वार्ता को टेबिल स्पीकर के सहयोग से सुना व परिवादी एवं गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू द्वारा अपनी एवं आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी एवं अन्य व्यक्ति की आवाज होने की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसक्रिप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटोप की मदद से तीन खाली डीवीडीयों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क B-1, B-2 को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क B-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया ,उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई है। तत्पश्चात रिश्वत लेन–देन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उक्त एसडी कार्ड को उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क SD-1 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया, इसके बाद समय 05.05 पीएम पर आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर अलवर से परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू से मांगकर प्राप्त की गई 5,00,000/–रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछं नोट मुर्तिव कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात समय 05.25 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एवं परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका घटना स्थल तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 05.45 पीएम पर आरोपी श्री किगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुये रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.10.2022 एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 11.10.2022 के समय की रिकार्ड वार्तालाप के क्रम में अपनी आवाज का नमूना दिये जाने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी द्वारा गवाहान की उपस्थिति में अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इंकार किया एवं लिखित में दिया उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.05 पीएम पर आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) मे गिरफ्तार गया, वक्त गिरफ्तारी जामा तलाशी में आरोपी के पास से एक काले रंग का पर्स मिला जिसमें 5100/–रू. एवं स्वयं का विभागीय पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मिले तथा पैंट की बांयी जेब में एक मोबाईल मोबाईल मेकVivo x60 Pro बरंग आसमानी मिला जिसमें दो सिम लगी होना तथा एक सिम का नम्बर 9413243043 जियो होना एवं दूसरी सिम का नम्बर स्वयं को ज्ञात नहीं होना बताया। इसके अति. जामा तलाशी में कोई राशि, दस्तावेज, इत्यादि नहीं मिले। आरोपी की गिरफतारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके भाई श्री राजेन्द्र सिंह राजौरिया को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने मो0 नम्बर 8800511972 से मो0 नं0–9414344021 पर पृथक से दी गई तथा जामा तलाशी में मिला आरोपी का मोबाईल फोन सिमों सहित पृथक से वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया जाने हेतु रखा जाकर जामा तलाशी में मिला पर्स, राशि 5100/–रूपये विभागीय पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित श्री खैमचन्द सैनी सफाई कर्मचारी नगर पालिका खेड़ली को सुपुर्द किया गया । इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, इसके बाद समय 06.30 पीएम पर आरोपी श्री

किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी के नगर पालिका खेड़ली स्थित सरकारी आवास की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, तत्पश्चात समय 07.35 पीएम पर आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी के पास वक्त गिरफ्तारी वक्त जामा तलाशी में मिले उसके मोबाईल फोन मेक Vivo x60 Pro डबल सिम बरंग आसमानी जिसमें दो सिम नम्बर– क्रमशः 9413243043 व दूसरी सिम नम्बर के बारे में आरोपी ने पूछने पर ज्ञात नहीं होना बताया एवं आईएमईआई नम्बर–क्रमशः–864407059680720, 864407059680738 तथा आरोपी किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी व परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू के मध्य वार्ता होने एवं उक्त मोबाईल को चैक करने पर उसमें ऑटो कॉल अन्य संदिग्ध रिकार्ड वार्ताऐं होने के कारण उक्त मोबाईल फोन को मय सिम सहित वास्ते जांच/अनुसंधान वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा समय 08.01 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने हेतु काम में ली गई पीतल की नमूना सील को जरिये कानि0 लल्लू राम नम्बर 487 नष्ट करवाया जाकर फर्द मुर्तिब की गई। इसके बाद समय 08.35 पीएम पर बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही मन पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी को व जप्त शुदा समस्त बजह सबूत को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन एवं परिवादी के निजी प्राईवेट वाहन के घटना स्थल नगर पालिका खेड़ली से रवाना होकर समय 10.05 पीएम पर एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय वापस आया तथा ट्रेप कार्यवाही में जप्त समस्त बजह सबूत को मालखाना इन्जार्च को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया तथा समय 10.10 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रमन शर्मा व श्री यतेन्द्र कुमार शर्मा व परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू को कार्यालय से बाद हिदायत रूखसत किया गया, तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी को राजकीय चिकित्सालय अलवर से स्वास्थय परीक्षण कराया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना अरावली विहार मे बंद हवालात कराकर सुरक्षित रखा गया जिसे आईन्दा वास्ते जेसी माननीय न्यायालय मे पेश किया जावेगा।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से श्री किंगपाल सिंह अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री भगवान सिंह उर्फ भानू पुत्र श्री जगदीश चन्द जाति यादव उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम रूंध भटावली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल आवाद 829, 80 फुट रोड एसपीएम नगर मीणा हॉस्टल के पास भरतपुर से उसके पिता श्री जगदीश चन्द के नाम कस्वा खेड़ली स्थित जमीन पर निर्माण शुदा दुकानों को नाजायज कब्जा होने एवं उक्त कब्जे को हटाने के संबंध में वास्ते जांच एस. डी.एम. कठूमर से प्राप्त शिकायत में वर्णित तथ्यों की तहसीलदार कठूमर गिरधर मीना से मिलकर जांच/पैमाईस करने/कराने एवं वैध पट्टा शुदा एवं नगर पालिका की भवन/दुकान निर्माण स्वीकृति उपरान्त उक्त निर्माण शुदा दुकानों को अवैध बताकर उन्हें नहीं तोडने तथा रिपोर्ट परिवादी के पक्ष में देने की एबज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05,00,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 11.10.2022 को 05,00,000/–रूपये परिवादी से अपने नगर पालिका खेड़ली परिसर स्थित सरकारी आवास पर प्राप्त करते हुये मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफतार किया जाना तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड बरामद होना पाया गया है तथा पैसे लेने के बाद आरोपी द्वारा श्री गिरधर मीना तहसीलदार कठूमर को फोन करना तथा तहसीलदार का तुरन्त बाद आरोपी के पास फोन आना श्री गिरधर मीना तहसीलदार की संदिग्धता दर्शाता है। श्री गिरधर मीना तहसीलदार कठूमर जिला अलवर द्वारा उक्त मामले में पूछताछ हेतु जरिये मोबाईल बुलाये जाने पर भी उपस्थित नहीं होना एवं अपने मोबाईल का स्विच ऑफ कर लेना आदि से उक्त मामले में संदिग्ध भूमिका का होना प्रतीत होता है जिसकी वक्त अनुसंधान जांच की जावेगी।

अतः श्री किंगपाल सिह पुत्र श्री अर्जुन सिह जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी गोरव पथ नगर परिषद के पास धौलपुर हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री किंगपाल सिंह, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका खेड़ली, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 400/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3483-87 दिनांक 12.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

12.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।